महानिदेशालय कारागार,राजस्थान,जयपुर

कमांकःसामान्य/20007-20040 दिनांक : 17.08.2010

समस्त अधीक्षक एवं उप अधीक्षक
केन्द्रीय/जिला कारागृह 'ए' श्रेणी, राजस्थान

विषयः– दण्डित बंदियों को रोटेशन से कार्य आवंटन के संबंध में ।

महोदय,

यह ध्यान में आया है कि कुछ कारागृहों में अनेक दंडित बंदियों को कच्चे माल के अभाव में उद्योगशाला संचालित नहीं होने से किसी प्रकार का श्रम उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उद्योगशाला में श्रम उपलब्ध नहीं होने अथवा उपयुक्त संख्या में श्रम उपलब्ध नहीं होने पर रोटेशन से दंडित बंदियों को उद्योगशाला एवं जेल सेवा में श्रम हेतु नियोजित किया जाये।

बंदी को उक्तानुसार रोटेशन से आवंटित कार्य (जेल सेवा अथवा उद्योगशाला में श्रम) करने पर ही परिहार स्वीकृत किया जाये। किसी कारणवश रोटेशन से बंदी का नियोजन नहीं होने पर ही उसे श्रम के अभाव में परिहार प्रदान किया जाये।

उक्त प्रकिया से समस्त दंडित बंदियों को कमवार श्रम उपलब्ध हो सकेगा तथा कारागृह प्रभारी उसकी श्रम के प्रति रूचि का आंकलन कर उचित परिहार प्रदान कर सकेंगे।

भवदीय,

17/8/10

(ओमेन्द्र भारद्वाज)
महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार,राजस्थान,जयपुर

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार
राज. जयपुर